प्राक्कथन

यह निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत बिहार के राज्यपाल को प्रस्तुत किए जाने हेतु तैयार किया गया है।

इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में वर्ष 2017–18 से 2022–23 की अवधि के लिए बिहार में हर घर नल का जल योजना के क्रियान्वयन पर निष्पादन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों को सम्मलित किया गया है।

इस प्रतिवेदन में नमूना–लेखापरीक्षा के क्रम में पाए गए मामलों के साथ–साथ वैसे मामले भी उल्लेखित हैं जों पूर्ववर्ती वर्षों में पाये गये, परंतु पूर्व के प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किए जा सके। जहाँ भी प्रासंगिक पाया गया, 2022–23 के बाद की अवधि से संबंधित मामलों को भी शामिल किया गया है। इस प्रतिवेदन में शामिल लेखापरीक्षा अवलोकन सीमित नमूना–जांच पर आधारित है।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरुप की गई है।